



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-598 राँची, सोमवार,

6 दिसम्बर, 2021 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संकल्प

12 नवम्बर, 2021

विषय: SAHAY (Sports Action towards Harnessing Aspiration of Youth) योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

संचिका संख्या.1/खे०-12-10/21/क 04...झारखण्ड राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में खेलों के माध्यम से संघर्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हुए सामान्य जीवन शैली को प्रेरित करने तथा युवा वर्ग के विकास हेतु सहाय (SAHAY) योजना संचालित किए जाने पर स्वीकृति दी गई है ।

- यह योजना पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला.खरसावाँ, खूँटी, सिमडेगा एवं गुमला जिलों में कार्यान्वित की जायेगी। योजना के फलाफल के आधार पर कालान्तर में योजना को अन्य जिलों में भी क्रियान्वित किया जा सकता है ।

3. इस योजना के उद्देश्य निम्न रूपेण हैं :-

- (i) प्रश्नगत जिले में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना ।
- (ii) खेलों के माध्यम से युवा में स्वतः स्फूर्ति की भावना उत्पन्न करना, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित हो सकें ।
- (iii) खेल-कूद के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने हेतु प्रेरित करना ।
- (iv) योजना के माध्यम से युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना, जिसके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना ।

4. इस योजनान्तर्गत प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय, जिला एवं राज्य स्तर पर युवक एवं युवतियों की फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स एवं वालीबॉल खेल प्रतियोगिता का अलग-अलग आयोजन किया जायेगा। एथलेटिक्स अन्तर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं लॉग जम्प की प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा ।

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर 14-19 वर्ष के युवक-युवती का खिलाड़ियों के रूप में निबंधन कराया जायेगा ।
- (ii) क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खिलाड़ियों के निबंधन का कार्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/स्थानीय नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा ।
- (iii) निबंधित युवक-युवतियों का Computerized Data Base तैयार कर संधारित कराया जायेगा ।

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स एवं वालीबॉल की युवक एवं युवतियों की अलग-अलग एक-एक टीम का चयन किया जायेगा। (रिजर्व सहित) ।
- (ii) टीम चयन का कार्य प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।
- (iii) एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं लॉग जम्प) हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर युवक एवं युवतियों की अलग-अलग प्रतियोगिता कराकर प्रतिस्पर्धावार सर्वश्रेष्ठ तीन खिलाड़ियों का चयन प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप युवतियों की 100 मीटर दौड़ हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर तीन सर्वश्रेष्ठ युवतियों का चयन किया जायेगा उसी प्रकार वार्ड स्तर पर भी किया जायेगा ।

- (iv) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय चयन समिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/स्थानीय नगर के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी तथा उपायुक्त द्वारा संबंधित प्रखण्ड में नामित दो क्रीड़ा प्रशिक्षक/पूर्व खिलाड़ी/खिलाड़ी (यदि उपलब्ध हो तो) एवं उपायुक्त द्वारा नामित संबंधित खेल संघ के प्रतिनिधि (यदि उपलब्ध हो तो) होंगे ।

7.

- (i) उपायुक्त के निदेश के आलोक में जिला खेल पदाधिकारी द्वारा संसूचित समय सारिणी के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय तथा स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा ।
- (ii) प्रखण्ड स्तरीय तथा स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन क्रमशः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा स्थानीय नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा ।
- (iii) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की प्रतियोगिता में पंचायत/वार्ड स्तर की सभी टीमें भाग लेंगी तथा राउण्ड रॉबिन/नॉक आउट की प्रणाली पर आपसी प्रतियोगिता के आधार पर विजेता पंचायत टीम/वार्ड टीम का चयन किया जायेगा ।
- (iv) किसी ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्र में वार्ड से टीम तैयार करने हेतु पर्याप्त खिलाड़ी न मिलने की स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायत/वार्ड की टीम तैयार की जायेगी ।
- (v) एथलेटिक्स हेतु प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक पंचायत/वार्ड से अधिकतम तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेंगे तथा उनमें प्रतियोगिता के आधार पर प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय के तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा ।
- (vi) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता की समाप्ति पर फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की विजेता ग्राम पंचायत/वार्ड टीम को पुरस्कृत किया जायेगा। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं लॉग जम्प में तीन-तीन एथलेटिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जायेगा ।
- (vii) फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की विजेता टीम और रनर अप टीम को शील्ड/कप एवं टीम के सभी खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। एथलेटिक्स के प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ तीन खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (viii) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (ix) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।
- (x) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के क्रम में खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी ।
- (xi) प्रतियोगिता के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।

- (xii) प्रतियोगिता में सभी पारम्परिक ग्राम प्रधान, मानकी मुण्डा, त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय नगर निकाय के निर्वाचित जन प्रतिनिधि, स्थानीय विधायक एवं स्थानीय सांसद को आमंत्रित किया जायेगा ।
- (xiii) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु उपायुक्त/जिला खेल पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को राशि उपावंटन किया जायेगा ।
- (xiv) प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के पश्चात फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल हेतु प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय चयन समिति के द्वारा समस्त पंचायत/वार्ड स्तरीय खिलाड़ियों के बीच में से एक प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय टीम को तैयार किया जायेगा। प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय स्तरीय टीम के चयन में objectivity एवं पारदर्शिता बरती जायेगी ।

8.

- (i) उपायुक्त के निदेश के आलोक में जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा ।
- (ii) जिला स्तरीय फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की प्रतियोगिता में प्रखण्ड एवं स्थानीय नगर निकाय स्तरीय सभी टीम भाग लेंगी तथा राउण्ड रॉबिन/नॉक आऊट की प्रणाली पर आपसी प्रतियोगिता के आधार पर विजेता प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय टीम का चयन किया जायेगा ।
- (iii) एथलेटिक्स हेतु जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रखण्ड एवं स्थानीय नगर निकाय से तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेंगे तथा उनमें प्रतियोगिता के आधार पर जिला के तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा ।
- (iv) जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समाप्ति पर फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की विजेता एवं रनर अप प्रखण्ड/स्थानीय नगर निकाय टीम को पुरस्कृत किया जायेगा। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं लॉग जम्प में तीन-तीन सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जायेगा ।
- (v) फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की विजेता टीम और रनर अप टीम को शिल्ड/कप तथा उक्त टीम के सभी खिलाड़ियों को medal प्रमाण-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा। एथलेटिक्स की प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ अधिकतम तीन खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा ।
- (vi) जिला स्तरीय प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।
- (vii) जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के क्रम में खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जायेगी ।
- (viii) प्रतियोगिता के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।
- (ix) प्रतियोगिता में जिला स्तरीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि, स्थानीय विधायक एवं स्थानीय सांसद को आमंत्रित किया जायेगा ।

- (x) जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु उपायुक्त/जिला खेल पदाधिकारी को राशि का आवंटन पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (xi) जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के पश्चात फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा समस्त खिलाड़ियों के बीच में से एक जिला स्तरीय टीम को तैयार किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय टीम के चयन में objectivity एवं पारदर्शिता बरती जायेगी।
- (xii) जिला स्तरीय चयन समिति में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा उपायुक्त द्वारा संबंधित जिला से नामित दो क्रीड़ा प्रशिक्षक/पूर्व खिलाड़ी/खिलाड़ी एवं उपायुक्त द्वारा नामित संबंधित खेल संघ के प्रतिनिधि (यदि उपलब्ध हो तो) होंगे।

9.

- (i) राज्य स्तर पर सभी प्रतियोगिताएँ निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कराया जायेगा।
- (ii) राज्य स्तरीय फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की प्रतियोगिता में जिला स्तरीय सभी टीम भाग लेंगी तथा राउण्ड राउण्ड रॉबिन/नॉक आउट की प्रणाली पर आपसी प्रतियोगिता के आधार पर विजेता जिला टीम का चयन किया जायेगा।
- (iii) एथलेटिक्स हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक जिला से तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेंगे तथा उनमें प्रतियोगिता के आधार पर राज्य के तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
- (iv) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समाप्ति पर फुटबॉल, हॉकी एवं वालीबॉल की विजेता/रनर अप जिला टीम को पुरस्कृत किया जायेगा। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं लॉग जम्प में तीन-तीन एथलेटिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
- (v) हॉकी, फुटबॉल एवं वालीबॉल की विजेता टीम और रनर अप टीम को शिल्ड/कप तथा टीम के सभी खिलाड़ियों को उमकंसए प्रमाण-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा। एथलेटिक्स की प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ तीन खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा।
- (vi) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिस हेतु निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से समुचित समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- (vii) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के क्रम में खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जायेगी।
- (viii) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु निदेशक, खेल-कूद एवं युवा कार्य निदेशालय को राशि का आवंटन पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

10.

योजना कार्यान्वयन हेतु प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में समय सारिणी सहित विस्तृत दिशा निर्देश निदेशक, खेल-कूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा जारी किया जायेगा।

11. SAHAY योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निम्न प्रकार से राशि का व्यय किया जायेगा:-

- (i) प्रखण्ड एवं स्थानीय नगर निकाय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को अधिकतम ₹ 400/- की दर से Jersey एवं Shorts उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ii) जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को निम्नांकित दर से किट उपलब्ध कराये जायेंगे-

क्र० सं.	खेल (बालक/बालिका)	अधिकतम अनुमान्य प्रति प्रतिभागी दर (राशि ₹ में)
1.	फुटबॉल	2500/-
2.	फुटबॉल गोलकीपर	3000/-
3.	हॉकी	6500/-
4.	हॉकी गोलकीपर	30000/-
5.	वालीबॉल	2200/-
6.	एथलेटिक्स	2200/-

- (iii) प्रखण्ड एवं स्थानीय नगर निकाय स्तरीय, जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में निम्नांकित रूप से राशि व्यय की जायेगी:-

क्र० सं.	खेल (बालक/बालिका)	अधिकतम अनुमान्य दर (राशि ₹ में)		
		प्रखण्ड स्तरीय	जिला स्तरीय	राज्य स्तरीय
1.	प्रति फुटबॉल मैच	6000.00	25000.00	50000.00
2.	प्रति हॉकी मैच	6000.00	25000.00	50000.00
3.	प्रति वालीबॉल मैच	3000.00	10000.00	25000.00
4.	प्रति 100 मीटर दौड़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता	15000.00	50000.00	50000.00
5.	प्रति 200 मीटर दौड़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता	15000.00	50000.00	50000.00
6.	प्रति 400 मीटर दौड़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता	15000.00	50000.00	50000.00
7.	प्रति Long Jump एथलेटिक्स प्रतियोगिता	15000.00	50000.00	50000.00

उपरोक्त अनुमान्य दर युवक एवं युवतियों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु अलग-अलग होगी।

(iv) जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जायेगी:-

क्र० सं.	खेल (बालक/बालिका)		प्रति प्रतिभागी प्रोत्साहन राशि (राशि ₹० में)	
			जिला स्तरीय	राज्य स्तरीय
1.	फुटबॉल	विजेता टीम का प्रत्येक टीम सदस्य	5000.00	10000.00
		Runner up टीम का प्रत्येक टीम सदस्य	3000.00	5000.00
2.	हॉकी	विजेता टीम का प्रत्येक टीम सदस्य	5000.00	10000.00
		Runner up टीम का प्रत्येक टीम सदस्य	3000.00	5000.00
3.	वालीबॉल	विजेता टीम का प्रत्येक टीम सदस्य	5000.00	10000.00
		Runner up टीम का प्रत्येक टीम सदस्य	3000.00	5000.00
4.	एथलेटिक्स	प्रथम स्थान प्राप्तकर्त्ता	5000.00	10000.00
		द्वितीय स्थान प्राप्तकर्त्ता	3000.00	7000.00
		तृतीय स्थान प्राप्तकर्त्ता	2000.00	5000.00

12. योजना अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता दिया जायेगा ।

13. SAHAY योजना के खेल प्रतियोगिता संबंधी व्यय का विकलन मुख्य बजट शीर्ष 2204— खेलकूद तथा युवा सेवाएँ—लघु शीर्ष—104/796— खेलकूद/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना— उप शीर्ष—50— अंतरराष्ट्रीय से पंचायत स्तर तक का खेल प्रतियोगिता/आयोजन/भागीदारी एवं साहसिक खेल— विस्तृत शीर्ष—07— अन्य व्यय — प्राथमिक इकाई—61— क्रीड़ा प्रोत्साहन इकाई मद से किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सरकार के सचिव ।
